



जगद्गुरुकुलम् प्रश्नोत्तरी:

पालकों के अधिकार, दान एवं जिम्मेदारियों से सम्बंधित प्रश्न :

1. जगद्गुरुकुलम् का क्या उद्देश्य है और इससे भारत का अभ्युदय कैसे होगा ?

जगद्गुरुकुलम् का उद्देश्य ये है कि भारत के बच्चों को भारतीय संस्कृति का न केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाए बल्कि भारतीय संस्कृति के अनुसार का जीवन जीते हुए उनको भारतीय संस्कृति सिखाई जाय। इसका परिणाम यह होगा की वो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात कर सकेंगे और अगर उन्होंने आत्मसात कर लिया तो फिर आगे चल कर के जब वो बड़े होंगे समाज का नेतृत्व करेंगे तब वो दूसरे लोगों तक भी भारतीय संस्कृति को संप्रेषित कर सकेंगे। हम ये चाहते हैं कि जगद्गुरुकुलम् में पढ करके जो बच्चा निकले वो भारतीय संस्कृति का जीता जागता स्वरूप हो, ताकि वह जहाँ जाए, जहाँ चले, उठे-बैठे, एवं बोले तो लगे कि ये भारत का व्यक्ति है, और लोग उसको देख करके ही भारतीय संस्कृति को समझने लगें। यदि आवश्यकता पड़े और किसी के मन में कोई प्रश्न आए तो उसके समाधान के लिए उसके पास भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, धर्म की गहरी समझ होनी चाहिए, और ये सब इसी गुरुकुल के माध्यम से संभव हो सकेगा। जगद्गुरुकुलम् में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको हमें भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत बनाना है और ओतप्रोत बना करके समाज के सामने प्रस्तुत करना है। ताकि समाज के लोग भारतीय संस्कृति को देख करके समझ करके भारतीय संस्कृति के प्रति उन्मुख हो सकें।

हमारा मूल उद्देश्य यही है, की भारत में भारतीयता को बचाया जा सके, ऐसा ना हो जाये की कुछ और ही संस्कृति आ करके इसके ऊपर आरोपित हो जाए। अनेक देशों में ऐसा हो चुका है कि वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनकी जो अपनी संस्कृति थी समाप्त हो चुकी है। जब बाहर के लोग वहाँ आए तो बाहर के लोगों ने वहाँ की संस्कृति के ऊपर अपना आवरण इतना गहरा चढा दिया कि मूल संस्कृति को ही वो लोग भूल गए, भारत में भी यही खतरा आसन्न है, दिखाई दे रहा है कि धीरे-धीरे पाश्चात्यीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पाश्चात्यीकरण की प्रवृत्ति इतनी गहरी हो जाए कि भारत, भारतीयता सब इसी में खो कर रह जाए। इसलिए हम लोग समय रहते हमारे मूल संस्कृति के बीज को बचाने की चिंता कर रहे हैं, और इसीलिए इस जगद्गुरुकुलम् को स्थापित करने का संकल्प लिया गया है।

2. क्या जगद्गुरुकुलम् कोई समिति है? इसमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

जगद्गुरुकुलम् समिति नहीं है, इसे विद्याश्री धर्मार्थ न्यास ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। विद्याश्री धर्मार्थ न्यास ट्रस्ट, उत्तराप्रदेश ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के अध्यक्षता में बना हुआ है, और अन्य सात सहयोगी भी इस न्यास के सदस्य हैं। इसमें एक सदस्य विदेश में जन्मे हैं, विदेश में ही पले बड़े, लेकिन उसके बाद भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया तत्पश्चात् उनको आकर्षण हुआ और यहीं आ करके उन्होंने अपने आपको भारतीय सिद्ध करते हुए निवास शुरू किया और अब भारतीय हो गए। उनके साथ जुड़ने और रहने से हम लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि भारतीय संस्कृति में रुचि किसी की भी हो सकती है, और भारतीय संस्कृति का मूल्य कितना अधिक है।

हम लोग भारत में रह करके विदेश की तरफ देखते हैं, और विदेश के लोग हमारी तरफ देखते हैं, और उन्हें हमसे बड़ी आशा है।

3. धारा 30 तथा धारा 30/A धर्म आधारित शिक्षा के खिलाफ हैं, ऐसे में जगद्गुरुकुलम् के माध्यम से सनातन धर्म शिक्षा कैसे दे पाएंगे?

भारत देश में शिक्षा की स्थिति यही है, कि संविधान की धारा 30 और 30A के अनुसार जो बहुसंख्यक हैं उनको विद्यालयों में धर्म की शिक्षा देने से मना कर दिया गया है, और जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए छूट है। मुस्लिम समुदाय मदरसे में अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, ईसाई अपने कॉन्वेंट स्कूल में इसकी शिक्षा दे सकता है, हिंदू अपने विद्यालय में अपनी विद्याएँ नहीं पढा सकता है, धर्म की



उनको एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा, जहां पूरे देश के बच्चे होंगे। पूरे देश की संस्कृति, पूरे देश की भाषा, पूरे देश का ज्ञान, एक दूसरे से बच्चों में आदान-प्रदान होगा, तो जगद्गुरुकुलम् परिसर एक अलग तरह का परिसर होगा।

निश्चित रूप से जगद्गुरुकुलम् की तुलना किसी और गुरुकुल से नहीं की जा सकेगी, ये अपने आपमें एक अनोखा परिसर होगा। ये भी बात है की और जगह पर कहीं-कहीं हॉस्टल बनाए गए हैं, सीमित संख्या में वहाँ बच्चे रहते भी हैं, लेकिन वहाँ पर उनको वृद्धों का साथ नहीं मिलता तो बच्चे बच्चे एक ही उम्र के एक साथ हो जाते हैं तो उत्साह तो उनका रहता है लेकिन समझ कमजोर हो जाती है इसलिए उत्साह में बहुत कुछ करते हैं लेकिन समझ के अभाव में वो उनका किया हुआ उतना फलदायी नहीं होता जितना होना चाहिए तो

‘उपरोक्त समस्त दृष्टियों के कारण ही हमारा जगद्गुरुकुलम् श्रेष्ठतम है।’

5. जगद्गुरुकुलम् कहाँ और कैसा बन रहा है? वहाँ कब तक शिक्षण सत्र प्रारंभ होगा ?

वर्तमान में जगद्गुरुकुलम् का एक परिसर मध्यप्रदेश के परमहंसी गंगा आश्रम में तैयार हो चुका है, जहाँ पर 108 बच्चे रह रहे हैं, और पढाई हो रही है। दूसरा गुरुकुल काशी में पहले से ही चल रहा है, उसमें भी 200-250 बच्चे हैं, और वो परम्परागत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा परिसर 1008 बच्चों के लिए, जबलपुर में संकल्पित किया गया है, वहाँ पर आठ एकड़ जमीन दानदाता श्रीमान् धीरेन्द्र गर्ग और श्रीमती ममता गर्ग के द्वारा जगद्गुरुकुलम् के लिये प्रदान की गई है। जिसका नक्शा बन चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, निर्माणकार्य शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। तो इस तरह से हमारे तीन परिसर तो उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो 10,000 बच्चों के लिये नया परिसर काशी के आस-पास बनाना है, उसके लिए भी भूमि देख रहे हैं, कई जगह पर भूमि देखी गई है जो भी भूमि अंतिम रूप से निर्णित होगी उसे सूचित किया जाएगा। जब तक यह बड़ा परिसर हमारा स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक अभी हम लोग बड़े पैमाने पर भर्तियां नहीं ले सकते हैं, छोटे पैमाने पर भर्तियां जगद्गुरुकुलम् में हो ही रही हैं।

6. पालक अपनी इच्छानुसार/पसंद से बालक, वृद्ध, वृक्ष और गौ माता भेज सकता है क्या ?

हाँ दे सकता है। यदि बच्चे के सहायता के लिए किसी ने जगद्गुरुकुलम् को दान देकर सहयोग किया है, और वह चाहता है की उसके द्वारा चिन्हित बच्चा जगद्गुरुकुलम् में प्रविष्ट कर दिया जाए, तो यह उसको अधिकार है। क्योंकि हमें तो किसी ना किसी को पढ़ाना ही है, अगर सहयोग करने वाला व्यक्ति किसी के लिए सुझाव देता है, तो हम उसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

7. जगद्गुरुकुलम् में ब्राह्मण के अलावा अन्य वर्ण के छात्र भी पढ़ सकते हैं कि नहीं ?

हम प्राचीन परंपरा अनुसार सनातन धर्म की मूल रूप से शिक्षा देना चाहते हैं, और सनातन धर्म में केवल ब्राह्मण नहीं है। सनातन धर्म में ब्राह्मण इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वे बाकी वर्णों को भी शिक्षा देते थे। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार हमारे ही वर्ण हैं, और चारों का अपना-अपना महत्व है, कोई बड़ा-छोटा नहीं है, बल्कि अपनी-अपनी जगह पर जिस समय जिसका मौका होता है वो बड़ा होता है। इस दृष्टि से चारों वर्ण के लोग जगद्गुरुकुलम् में पढ़ेंगे और उनको उनके वर्ण धर्म के अनुसार गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी।

8. सिर्फ बालकों को ही शिक्षा दी जाएगी या बालिकाओं को भी? यदि हाँ तो क्या बालिकाओं को भी वेद-वेदांग, उपनिषद आदि की शिक्षा दी जाएगी?

बालिकाएं हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। बिना बालिका के किसी भी समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चों को, पीढ़ियों को, आगे बढ़ाने का काम इन्हीं के द्वारा होता है। दूसरे जब हमारे परिवेश में रह करके बच्चा पढ़ेगा उसी परिवेश की दुल्हन भी उसके पास होनी चाहिए, वह कहाँ से आएगी ? और अगर दूसरी जगह से आएगी तो फिर उनका सामंजस्य कैसे बनेगा ?



इन सब दृष्टियों को सामने रखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, की हम बच्चियों को भी जगद्गुरुकुलम् में पढायेंगे। जहाँ तक वेद-वेदांग की शिक्षा की बात है, तो जिसका जैसा अधिकार शास्त्रों में वर्णित है, तदनुसार की शिक्षा दी जाएगी।

यही तो हमको सिखाना है, की हम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम भी उसी विचारधारा को बढ़ावा देंगे जैसा कि पाश्चात्य देशों में है कि सभी (स्त्री-पुरुष) सब काम कर सकते हैं। किसी के लिए कोई वर्जना नहीं है, यह जो विदेशियों का दृष्टिकोण है, इसमें समस्या यह है कि जब हम सब काम कर लेते हैं, तो हमारे लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। हम सोचते हैं की तुम्हारी क्या जरूरत है, हम कर लेंगे, आते हो तो आओ नहीं तो जाओ, यह सोच एक अहंकार हमारे मन में उत्पन्न करता है।

जब हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और जब भारतीय संस्कृति में आते हैं, तो यहाँ हम कार्य विभाजन कर रखे हैं। जैसे बड़े घरों में कार्य विभाजन होता है, की सब लोग मिलकर काम करते हैं, इसलिए सब अपना-अपना काम बांट लेते हैं। ऐसे ही हम चूँकि सनातनी बड़े परिवार के रूप में रहते आये हैं, इसलिए उन्होंने अपने कार्य विभाजन कर रखे हैं, और उसको शास्त्रीय स्वरूप भी दिया हुआ है, तो शास्त्रीय स्वरूप के अनुसार कार्य विभाजन करते हैं, और यही तो हमें बच्चों को सिखाना है, की ऐसा करके भी हम सुखी रह सकते हैं, ऐसा करके भी हम मिल-जुल कर रह सकते हैं।

समाज में जो यह धारणा बना दी गयी है की तुमको वंचित कर दिया गया है, और तुमको दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर का नागरिक माना गया है। एक नंबर के अमुक ही रहेंगे, तो यह हमारे लोगों में कुटिल धारणा सर्जित कर दी गई है, जिसके कारण हमारा सनातनी समाज विखंडित हो रहा है, इसी धारणा को तो हमको तोड़ना है। इसीलिए शास्त्रानुसार अधिकार का भी उद्देश्य हम पूरा करेंगे, और अधिकार के अनुसार बच्चों को उनके अधिकार क्षेत्र में जगद्गुरुकुलम् के माध्यम से योग्य बनाएंगे, और आगे चलकर ये लोग ही समाज का नेतृत्व करेंगे।

9. क्या वृद्ध/वृद्धा किसी भी वर्ण/जाति की हो सकते है? आश्रम में रहने के लिए नियम व शर्तें क्या है ? क्या कोई लिखित पत्र पर हस्ताक्षर कराया जायेगा ? यही हाँ तो इस नियमावली का प्रारूप क्या है ?

किसी भी जाति का मतलब हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण के वृद्ध या वृद्धा यहाँ आ सकते हैं और रह सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सभी के कर्तव्य एवं अधिकार भी वर्णित हैं, लेकिन इन अधिकारों के कारण, कोई भेदभाव या प्रताड़ना नहीं होनी चाहिये और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे की हमारे जगद्गुरुकुलम् परिसर में ना हो।

जो भी व्यक्ति जगद्गुरुकुलम् परिसर में रहना चाहेगा वह निर्धारित पारूप पर आवेदन करेगा, तत्पश्चात् संस्था के जिम्मेदार अधिकारी उनसे चर्चा करेंगे, नियम आदि समझायेंगे, और यदि आवेदक उन सभी नियमों से अपने आपको आबद्ध करता है, और सहमति देता है की वह सभी नियमों का पालन करते हुए परिसर में रहेंगे, तो हम उसका स्वागत करेंगे। अब इसके लिए जो जरूरी लिखापट्टी आवश्यक होगी, वह की जाएगी। सामान्य रूप से उसका आवेदन संस्था की फाइल में रहेगा, नियमावली की छायाप्रति आवेदक के पास भी रहेंगी। समय समय पर जो भी उसका आवेदन एवं सुनवाई होगी उसके रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका अवलोकन किया जा सके।

नियम एवं शर्त कि नियमावली हम बना रहे हैं शीघ्र ही बन जाएगी। परंतु नियमावली की मूल भावना यही होगी की चरित्रवान बन करके ही जगद्गुरुकुलम् परिसर में रहना पड़ेगा, चरित्र के बारे में कोई भी कमजोरी यहाँ रहने वाले की नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको दूर करना पड़ेगा तभी यहाँ रह सकता है, और उत्तम विचार पूर्वक यहाँ रह कर एक सात्विक जीवन बिताना होगा।

10. जगद्गुरुकुलम् में ब्राह्मण बच्चों के साथ अन्य वर्ण/जाति के बुजुर्ग रह सकते हैं क्या ?

बिलकुल रहेंगे, क्योंकि हमें, चारों वर्णों को साथ ही तो रहना है। वेदों में वर्णित है कि ब्राह्मण मुख है, बाहु क्षत्रिय है, उर वैश्य है एवं पैर शूद्र है। हमारे सभी अंग भी तभी कार्य कर सकते हैं जब साथ-साथ रहते हैं, ये कट-कट कर अलग नहीं रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। इसलिए हमें भी चारों वर्णों को आपस में जुड़े रहना पड़ेगा अलग नहीं रह सकते। भोजन हाथ से होगा, लेकिन पैर भी वहाँ



पालथी मारकर बैठा रहेगा, आप पैर काटकर बाहर नहीं रख देंगे, आप जूता बाहर रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अपने लोगों को भी करना और समझना पड़ेगा।

11. क्या ब्राह्मण बालक से अन्य वर्ण के वृद्ध सेवा ले सकते हैं?

सेवा नहीं सहयोग, सहयोग तो किसी का भी हो सकता है, सेवा एक अलग क्रिया है और सहयोग एक अलग क्रिया है। ब्राह्मण बालक सहयोग अन्य वर्ण का बिलकुल कर सकता है, यह तो व्यवहारिक पक्ष है, यदि किसी के सेवा की आवश्यकता हुई तो उसे स्थिति परिस्थित अनुसार देखा और सुलझाया जायेगा।

12. पालक ने जिस गुरुकुल के लिए दान दिया है, क्या उसी गुरुकुल में छात्र एवं वृद्ध भेज सकता है ? या फिर किसी भी गुरुकुल में भेज सकता है ?

जब कई गुरुकुल हो जाएंगे उस समय स्थानान्तरण की पॉलिसी लागू की जाएगी, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपने अमुक जगह के गुरुकुल में ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित महसूस करते हैं, और वहाँ हमारा स्थानान्तरण कर दिया जाए तो अगर कोई समस्या न हुई तो स्थानान्तरण की पॉलिसी के अनुसार उसका स्थानान्तरण किया जाएगा।

13. यदि छात्र, वृद्ध या गौ माता बीमार/मृत्यु होता है, तो पालक एवं आश्रम का क्या दायित्व होगा ?

बीमार होने पर या कुछ अनहोनी होने पर जो परिवार का दायित्व होता है वैसे ही जगद्गुरुकुलम् भी अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। जैसे स्वस्थ रहने पर संस्था का यह दायित्व है कि समय से खिलाये-पिलाये, पढाए-लिखाये, देख-रेख करें। जैसे माता-पिता की तरह गुरुकुल में रहने वाले बच्चों का, गौ-माता का, वृद्ध का किया जाएगा ठीक उसी तरह अस्वस्थ होने या मृत्यु होने पर भी जगद्गुरुकुलम् अपने दायित्व का पालन करेगा। घर में जैसे वृद्ध, बच्चे या गौ-माता (अपने घर में पाली हुई गाय के साथ) के साथ कोई अनहोनी हो जाए और जो व्यवहार हम करते हैं, वही व्यवहार गुरुकुल में उनके साथ किया जाएगा।

14. यदि कोई गंभीर बिमारी हो, बहुत बड़ी बिमारी होती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में खर्च की कोई बात हो तब क्या होगा?

हमारे गुरुकुल में जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा उसका बीमा कराया जाएगा। आजकल स्वास्थ्य का बीमा होता है, जितनी भी संभावनाएँ संभव होंगी सभी को कवर करते हुए बीमा किया जाएगा। बीमा की जो भी किस्त होती है, वो गुरुकुल जमा करता रहेगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो बीमा की राशि से उसका इलाज होगा कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी परिस्थिति में बीमा की राशि उपलब्ध न हो पायी, तो गुरुकुल इतना सक्षम होगा कि जो हमारी देख-रेख में है, उसका देख-रेख हम घर परिवार जैसा करेंगे। अगर कोई वृद्ध बीमार है तो हम उसके बच्चे बन करके उसकी सेवा करेंगे।

15. छात्र के वास्तविक माता-पिता यदि कोई आरोप दान-दाता पर लगाते हैं, तो उस स्थिति में दान-दाता कैसे सुरक्षित रहेगा और कलंकित नहीं होगा?

दानदाता पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, आरोप लगाएगा तो प्रबंध समिति पर लगाएगा। दानदाता तो सहयोगी है दान दे रहा है, दानदाता पर आक्षेप लगाने का कोई कारण ही नहीं हो सकता है, जिसे आवेदन और नियमावली में लिखा जाएगा। और यदि प्रबंध समिति पर कोई आरोप आयेगा, तो उसका निवारण निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।



16. यदि कोई छात्र बिना पढाई पूरी किए ही वापस आ जाता है, अथवा वृद्ध आश्रम छोड़कर जाता है, उस स्थिति में दानदाता द्वारा अन्य छात्र या वृद्ध को भेजने की क्या प्रक्रिया रहेगी?

दानदाता चाहे तो दूसरा बच्चा अथवा वृद्ध भेज सकता है, और यदि नहीं भेजता है तो गुरुकुल स्वयं किसी और को उसकी जगह पे भर्ती कर लेगा तो संख्या पूर्ति हो जाएगी। जो चला गया है उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा।

17. यदि छात्र/वृद्ध को किसी प्रकार की असुविधा आश्रम में होती है, तो उसके निराकरण की प्रक्रिया क्या होगी ?

जगद्गुरुकुलम् में 10,000 बच्चे होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है की सभी व्यवस्थाएँ बनाकर रखनी पड़ेगी जैसे की स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु डॉक्टर अपॉइंट करके रखने पड़ेंगे, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा तत्काल बच्चे को दिया जा सके। यदि कहीं बाहर भी रेफर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको तुरंत किसी अन्य हॉस्पिटल में रेफर भी किया जाएगा। जगद्गुरुकुलम् का अभिभावकीय दायित्व है, क्योंकि गुरुकुल ही उसका प्रथम अभिभावक है। बच्चा जब तक गुरुकुल के पास है, तो गुरुकुल अभिभावक के दायित्व से उसको सभी आवश्यक सुविधाएँ एवं सुरक्षा प्रदान करेगा।

दूसरी समस्या खान-पान की आ सकती है, या फिर बच्चों की आपस में लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं या चोरी कर सकते हैं। ऐसी सभी परिस्थितियों में अनुशासनात्मक कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी। यदि किसी के द्वारा अनुशासन तोड़ा जाता है, या तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो समझाइश दिया जाएगा और यदि फिर भी नहीं मानेगा तो परिसर से निष्कासन या आवश्यकतानुसार दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

सभी संभावित समस्याओं की निराकरण प्रक्रिया जगद्गुरुकुलम् में स्थापित किया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा या समस्या ना हो।

18. क्या दान राशि नकद में भी लें सकते हैं? या केवल चेक/आरटीजीएस पेमेंट या अन्य माध्यम जैसे की गूगलपे, पेटीएम माध्यम से ही लिया जायेगा?

चूँकि दान राशि नगद में 2000/- रुपये से अधिक नहीं लिया सकता है, क्योंकि आयकर अधिनियम में मान्य नहीं होगा। इसलिए यदि दान राशि 2000/- रुपये से अधिक है तो केवल चेक/आरटीजीएस पेमेंट या अन्य ऑनलाइन भुगतान माध्यम जैसे की गूगलपे, पेटीएम आदि माध्यम से ही लिया जायेगा।

19. कोई दान दाता निर्धारित राशि से (रुपये 432000) से कम राशि देता है तो लेना है कि नहीं ? यदि लेना है तो क्या शर्तें हैं ?

यदि कोई दानदाता किसी एक बच्चे के लिए मात्र एक माह का खर्च, जो की लगभग 3000/- रुपये मात्र होते हैं, उसे देना चाहता है, तो दे सकता है। परंतु उसे तब तक किसी बच्चे, वृद्ध, गाय एवं वृक्ष को भेजने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक की एक बच्चे के पूरे 12 वर्ष के संपूर्ण खर्च हेतु दान राशि जमा नहीं हो जाती है। जब तक सम्पूर्ण राशि कई लोग मिल के एक बच्चे के लायक राशि इकट्ठा नहीं कर देंगे तक इस राशि को अलग खाते में रखा जाएगा, और जैसे ही संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है, तुरंत एक और बच्चे को प्रवेश मिल जाएगा, और बिना किसी व्यवधान के उसकी शिक्षा 12 वर्षों तक अनवरत चलती रहेगी।

20. पालक सदस्यता शुल्क (रूपये 4,32,000) क्या 12 वर्ष बाद समाप्त हो जायेगा ? उसके बाद वृद्ध को निकाल दिया जायेगा ? क्या 12 वर्ष बाद किसी और छात्र को नहीं भेज सकते ? यदि भेजना चाहते हैं तो शर्त क्या होगी ? इस राशि की गणना किस प्रकार की गयी है ?



12 वर्ष में एक बच्चा जगद्गुरुकुलम् से अपना अध्ययन पूर्ण कर लेगा और जगद्गुरुकुलम् में उस बच्चे के साथ जो वृद्ध रहेंगे उन्हें दूसरे बच्चे के साथ रख दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही एक बच्चा निकलेगा वैसे ही दूसरे बच्चे का प्रवेश हो जाएगा और दानदाता ने जो दान राशि उस बच्चे के लिये दिया था वह भी समाप्त हो जाएगा। पालक के रूप में दानदाता की ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाएगी परंतु जगद्गुरुकुलम् के सहयोगी के रूप में उसको सदैव मान्यता मिलती रहेगी। यदि दानदाता पुनः किसी बच्चे का पालक बनना चाहता है, तो उसे पुनः दूसरे बच्चे के पढाई खर्च हेतु उस समय जो भी राशि निर्धारित की जाएगी उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

21. चूँकि पालक के नाम से स्तम्भ भी बनाये जा रहे हैं, यदि 12 वर्ष बाद सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो क्या स्तम्भ से नाम हटा दिया जायेगा ?

स्तम्भ तो जब तक गुरुकुल रहेगा तब तक रहेंगे, कभी भी हटाया या मिटाया नहीं जाएगा। परंतु स्तम्भ सिर्फ दश हज़ारी मुख्य परिसर में ही बनेगा, जहाँ 10000 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, और सिर्फ प्रथम 10000 दानदाताओं का ही रहेगा, जो दानदाता उसके बाद दान देंगे उनके नाम का स्तम्भ नहीं बन पायेगा। क्योंकि 10000 के बाद जो आयेंगे उनके लिए स्तम्भ की जगह दीवार पर नामपट्टिका लगेगी। क्योंकि जो प्रथम 10000 दानदाता जगद्गुरुकुलम् को दान कर रहे हैं, उनका विशेष सहयोग माना जाएगा और अधिक पुण्य के भागीदार होंगे, उसके बाद तो नाम पट्टिका के लिए एक दीवार बना दी जाएगी, और उसी पर नये दान दाताओं के नाम लिखे जाएंगे। इसलिए प्रथम 10000 को मौका है, की जब तक जगद्गुरुकुलम् रहेगा तब तक के लिये उनका और उनके परिवार ना नाम अमर हो जाएगा। हम ऐसा स्तम्भ बनाएंगे ताकि वह हज़ारों वर्ष तक रहे और इतिहास का अंग बने। क्योंकि प्रथम दश हज़ार दानदाताओं के सहयोग को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा।

22. जगतगुरुकुलम् में दान दाता के दान देते समय यह निर्धारित रहेगा कि वह किस गुरुकुल के लिए दान दे रहा है ? यदि किसी गुरुकुल में पालकों की निर्धारित संख्या पूर्ण हो चुकी हो, और दान दाता वहीं के लिए दान देना चाहता है, तो वह दान कैसे देगा उसका स्तम्भ कहाँ बनेगा, क्योंकि दान दाता तो यह चाहता है कि स्तम्भ वहीं बने जहाँ उनके जान-पहचान वाले अधिक हों।

यदि दानदाता चाहता है कि उनके द्वारा पोषित बच्चा, वृद्ध, गौमाता उसके द्वारा चिह्नित परिसर में रहें, और यदि उस परिसर में जगह खाली है, तो ऐसा किया जा सकता है, और दानदाता द्वारा पोषित बच्चा, वृद्ध, गौमाता यदि किसी अन्य परिसर में पहले से निवासरत हैं, तो उन्हें स्थांतरित भी किया जा सकता है। परंतु जो 10000 स्तम्भ बनाया जाएगा वह सिर्फ मुख्य परिसर (जहाँ पर 10000 बच्चों का परिसर बनेगा) में ही बनेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं बनेगा। बाकी सभी अन्य परिसर में दीवार पर पट्टिका ही लगायी जाएँगी।

23. जगद्गुरुकुलम् में दान देंगे तो इनकम टैक्स में क्या छूट मिलेगा ?

चूँकि यह संस्था भी पंजीकृत संस्था है, तथा आयकर के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही संचालित हो रही है, और आयकर की धारा में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जो छूट मिलती है, वही यहाँ भी मिलेगी। इसलिए जिस समय जो नियमानुसार छूट होगा वह मिलेगा, क्योंकि समय-समय पर इसमें बदलाव भी होता रहता है। इसलिए पहले से कुछ बोलना या सुनिश्चित कर देना उचित नहीं होगा।

24. दिए गए दान की रसीद कब और कैसे मिलेगी? रसीद के आलावा कोई प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा ?

यदि दानदाता बैंक के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, तो संस्था के खाते में राशि आते ही उसे तत्काल ऑनलाइन रसीद संस्था से मिल जाएगी। यदि कैश में दिया है तो तत्काल दान का विवरण ऑनलाइन हमारे संदेष्टा द्वारा प्रविष्टि की जाएगी और दानदाता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रसीद मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी संस्था की तरफ से एक धन्यवाद पत्र भी दानदाता को प्रेषित किया जाएगा। जब जगद्गुरुकुलम् का वार्षिकोत्सव होगा उस वार्षिकोत्सव में हम पालकों को आमंत्रित करेंगे और उसमें दानदाता या उसके प्रतिनिधि का सम्मान भी किया जाएगा।



25. दान-दाता द्वारा पोषित बालक, वृद्ध, वृक्ष और गौ-माता कौन सी है ? इसकी जानकारी कब और कैसे मिलेगी ?

संस्था में रह रहे प्रत्येक दानदाता द्वारा पोषित बालक, वृद्ध, वृक्ष और गौ-माता का एक यूनिक कोड (नंबर) होगा, जो दानदाता को सूचित कर दिया जाएगा। गाय के कान में टैग लगा रहेगा, बच्चे और वृद्ध के कार्ड में भी नंबर लिखा रहेगा, इसके अलावा वृक्ष के पास भी टैग लगा रहेगा और इस पर भी नंबर लिखा ही रहेगा, और वही नंबर दानदाता के स्तंभ पर भी रहेगा। इसलिए पालक को मात्र नंबर से ही तुरंत पता चल जाएगा की उनके द्वारा पोषित बालक, वृद्ध, वृक्ष और गौ-माता कौन हैं।

26. क्या दान-दाता कुछ दिन जगद्गुरुकुलम् में रुक सकते हैं ? और अपने द्वारा पालित-पोषित बालक, वृद्ध, वृक्ष और गौ माता को देख सकते हैं ?

हम ऐसा नियम बना रहे हैं, की वर्ष में कम से कम 3 दिन के लिए प्रत्येक पालक या उसके प्रतिनिधि को आना ही होगा, ताकि संस्था में चल रहे कार्यों को और पालक द्वारा पोषित बालक, वृद्ध, वृक्ष और गौ-माता को देखा और उनसे मुलाकात किया जा सके। इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था बनायेंगे की लोग बैच में आते रहेंगे, और उनके लिये भोजन आदि की व्यवस्था भी संस्था द्वारा व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। पूर्व निर्धारित समय सारिणी अनुसार पूरे वर्ष, यह कार्यक्रम चलता रहेगा और संस्था की तरफ से पालकों को सूचित करने हेतु हम आमंत्रण पत्र भी भेजेंगे।

27. शुल्क एकमुश्त जमा करना होगा या किश्त में भी जमा कर सकते हैं?

संस्था तो चाहेगी की दान एकमुश्त जमा हो जाये ताकि बच्चे को प्रवेश दिया जा सके, लेकिन यदि दानदाता एकमुश्त राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं/नहीं कर सकते हैं, तो अपनी सुविधानुसार किश्त में भी जमा कर सकते हैं। परंतु जब तक निर्धारित पूरी राशि जमा नहीं हो जाती है तब तक बच्चे को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। दानदाता द्वारा जमा करायी गई किश्त राशि खाते में जमा होती रहेगी, जैसे ही अंतिम किश्त दानदाता जमा करायेंगे, उन्हें पालक बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

अधोसंरचना से सम्बंधित प्रश्न:

1. प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे होंगे ? वृद्ध भी साथ में रहेंगे या अलग कमरे में रहेंगे ?

अलग कमरा नहीं बनाएंगे, हॉल का पार्टीशन कर केबिन बनाया जाएगा। प्रत्येक केबिन में एक बच्चा और एक वृद्ध रहेंगे। ऐसी व्यवस्था रहेगी कि केबिन में सीधे उनको कोई ना देख सके, परंतु केबिन के पास खड़े होकर उन्हें देखा जा सके, ताकि निगरानी रखी जा सके। साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उठने-बैठने या सोते समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक केबिन से लगा बाथरूम रहेगा, ताकि स्वच्छता में कोई कमी ना हो। पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि जो अवांछित हो उस पर निगरानी रखी जा सके, और त्वरित उस पर कार्यवाही कर निवारण किया जा सके।

2. प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था होगी ?

लगभग 15-20 विद्यार्थियों की व्यवस्था की जाएगी, आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है।

3. क्या किसी जगद्गुरुकुलम् में जाकर अधोसंरचना देखा जा सकता है ?

चूँकि अभी दो परिसर में ही अध्यापन कार्य चल रहा है, परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए संस्था के अधिकारियों से स्वीकृति लेकर परिसर देखा जा सकता है।



शिक्षा एवं व्यवस्था से सम्बंधित प्रश्न:

1. अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा छोड़कर जगद्गुरुकुलम् में क्यों पढाएं ?

आधुनिक शिक्षा की पढाई का परिणाम हम देख रहे हैं, कि बच्चे माता-पिता और परिवार के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जब बुढ़ापे में आपके पास अकेलापन रहता है, तो आपके बच्चे तो हैं परंतु बच्चों का कोई सुख आपको नहीं मिल रहा है। आपके बच्चे बड़े पद पर तो नियुक्त हो रहे हैं, साफ-सुथरे, अच्छे रहन-सहन से तो रहने लगते हैं, यहाँ तक कि विदेश भी जा रहे हैं, जिसे आप बहुत बड़ी उपलब्धि और सौभाग्य समझ रहे हैं, लेकिन आप के लिए यह वास्तव में उपलब्धि या सौभाग्य नहीं है।

आपके बच्चे के साथ आपका सामंजस्य नहीं हो पाता है, कई बार तो सुनने में आता है, और हमने फिल्मों में देखा है, कि बच्चा कलेक्टर हो गया, और अपने मित्रों से परिचय करवाता है की ये हमारे नौकर हैं। ये सब हमारी आधुनिक/पाश्चात्य शिक्षा का ही परिणाम है, इसलिए आधुनिक शिक्षा के मामले में हमें कुछ कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज इसको भोग रहा है।

यदि आप चाहते हो कि –

प्रातःकाल उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ।

यदि आप और समाज बच्चों से ऐसे आचरण की अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा पिता की आज्ञा का अनुसरण करे, अपने भाई-बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, सभी से प्रेम बना के रखे, तो आपको अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना ही होगा। हम ये कदापि नहीं कहते या कहना चाहते कि आप आधुनिक शिक्षा बच्चों को ना दे, जिसे देना है वह दें, बस हम आपके और समाज के पास वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं।

बच्चा वेद शास्त्र पढेगा, जानेगा तो बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा, और यहाँ वो सब पढाया जाएगा। ताकि बच्चा आज की दुनिया से कदमताल मिला कर चल सके। इसके लिए यहाँ आधुनिक विषय भी पढाए जाएँगे, ताकि वो अपने को पीछे न समझे आज की दुनिया के बच्चों के साथ अगर उसको बैठा दिया जाए तो बराबरी से बात कर सके, नज़र से नज़र मिलाकर के बात कर सके, यदि कोई उससे अंग्रेज़ी में बात करता है, तो बिना संकोच के अंग्रेज़ी में भी बात कर सके।

2. कितने वर्ष के बच्चों का प्रवेश किया जाएगा ?

अभी वर्तमान में 8 से 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को लिया जा रहा है, ताकि बच्चा स्वयं से कपड़ा पहनना, स्नान करना, स्वयं भोजन करना जानता हो और कर सकता हो। परंतु जब हमारा गुरुकुल पूर्ण रूप से संचालित होने लग जाएगा तब तो हम तीन वर्ष के बच्चों को भी प्रवेश कर लेंगे, क्योंकि अक्षरारंभ तो तीन वर्ष में ही करते हैं। सामान्य रूप से पांच वर्ष से आठ वर्ष का बच्चा अपना काम करने लगता है, परंतु जब हमारे परिसर में सभी सुविधाएँ हो जायेंगी और कोई माता-पिता चाहते हैं, कि बच्चे को तीन वर्ष में ही प्रवेश मिल जाये, तो संस्था प्रवेश देगी।

3. कुल कितने साल की शिक्षा दी जाएगी?

चूँकि 'जगद्गुरुकुलम्' में प्रवेश की आयु सीमा 3 वर्ष (अक्षरारंभ) से 8 वर्ष तक की निर्धारित होगी, इसलिए जो बच्चे 3 वर्ष की आयु में प्रवेश लेंगे उन्हें 17 वर्षों तक एवं जो बच्चे 8 वर्ष की आयु में प्रवेश लेंगे उन्हें 12 वर्ष तक 'जगद्गुरुकुलम्' में रहकर निःशुल्क (भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य एवं निवास सुविधाओं के साथ) शिक्षित किया जायेगा।

4. साधना-योग-व्यायाम की क्या शिक्षा दी जाएगी?

साधना-योग-व्यायाम भी अनिवार्य है और वर्तमान में भी जगद्गुरुकुलम् में दिया जा रहा है, बच्चे को संध्या करना, और सूर्य नमस्कार अनिवार्य है। योगाभ्यास और खेलकूद भी अनिवार्य है, इससे शारीरिक व्यायाम के साथ-साथ बौद्धिक व्यायाम भी होता है।



5. 'जगद्गुरुकुलम्' किस बोर्ड से संबद्ध होगा?

चूँकि अभी तक हमारे अनुरूप जगद्गुरुकुलम् को अलग बोर्ड का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है, जिसका प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही हम स्वयं का अपना जगद्गुरुकुलम् बोर्ड मान्यता प्राप्त कर लेंगे, उसके पश्चात हमारा अपना पाठ्यक्रम होगा और वही पढाएंगे। जब तक जगद्गुरुकुलम् को अलग बोर्ड का मान्यता प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक एनआईओएस बोर्ड परीक्षा दिलवाई जाएगी।

6. शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाएगी क्या ?

हाँ, जगद्गुरुकुलम् में शास्त्र के शस्त्र विधाएँ भी सिखायी जायेंगीं, यहाँ जब बच्चा यजुर्वेद पढेगा तो साथ-साथ धनुर्वेद भी पढेगा।

7. क्या कंप्यूटर, अंग्रेजी भाषा एवं अन्य आधुनिक विषयों का ज्ञान दिया जायेगा ?

हाँ, दिया जायेगा ताकि वो आधुनिक युग में सभी के साथ कदम से कदम मिला का चल सके, लेकिन जगद्गुरुकुलम् में प्रयास वैदिक शिक्षा पर अधिक रहेगा। आधुनिक शिक्षा इसलिए देंगे की यहाँ पढने वाला बच्चा आधुनिक जमाने में अपने आप को पीछे ना महसूस करें, इसके लिए इसे भी पढायेंगे।

जगद्गुरुकुलम् छात्रों से भविष्य से सम्बंधित प्रश्न:

1. जगद्गुरुकुलम् से पढकर निकलने वाला छात्र/छात्रा क्या करेंगे/करेंगी? उनकी आजीविका क्या होगी ?

आजीविका के लिए अभी वर्तमान में जगद्गुरुकुलम् ने 35 क्षेत्र का चुनाव किया गया है, जिसमें बच्चों को पढाया सिखाया जाएगा। जगद्गुरुकुलम् से शिक्षा प्राप्त किया हुआ बच्चा 35 क्षेत्रों में अपनी आजीविका का चुनाव कर सकता है, और उसमें वह सफल भी रहेगा। क्योंकि यहाँ मात्र किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उस विषय से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा।

2. जगद्गुरुकुलम् में पढने वाले विद्यार्थी सिविल सर्विस में जा सकते हैं क्या ?

हाँ, जैसा कि उपरोक्त पहले ही बताया गया है कि अभी वर्तमान में कुल 35 क्षेत्र में से बच्चा किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर सकता है, जिसमें से एक प्रशासनिक क्षेत्र भी है, चिकित्सा का क्षेत्र है, अभियंता का क्षेत्र है, व्यापारी भी बन सकता है, पुरोहित व धर्माचार्य भी बन सकता है। बच्चे की रुचि के अनुसार वह किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर पाएगा।

3. जगद्गुरुकुलम् से जो भारत के आध्यात्मिक गौरव की स्थापना होनी है, तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली क्या होगी, किस ढंग से हम बच्चों को जीवन जीना सिखाएंगे ?

जगद्गुरुकुलम् में पढने वाले बच्चे का जीवन पवित्रता का जीवन रहेगा, शुद्धता का जीवन रहेगा, और यहाँ उसे भारतीय तौर तरीके सिखाएंगे, जो की सर्वश्रेष्ठ तौर तरीका है। भारतीय तौर तरीका ही अपना करके ही हम लोग आगे आए हैं, लेकिन उसके पीछे जो गौरव है, ज्ञान है, वह आजकल पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में नहीं दी जा रही है, उसे विलुप्त कर दिया गया है। जगद्गुरुकुलम् के माध्यम से हम उस गौरव को, ज्ञान को, पुनर्जागृति करेंगे। शिक्षा एवं परिधान हमारे संस्कार, प्रकृति और संस्कृति के हिसाब से होनी चाहिये, उदाहरण के लिए जहाँ ठंड अधिक है, वहाँ का परिधान कोट, पैंट एवं टाई हो सकता है, परंतु जहाँ गर्मी है, वहाँ का कदापि नहीं। जैसा कि पहले भी इस बात को बताया जा चुका है, की जब जगद्गुरुकुलम् का बच्चा चले, बैठे, उठे, बोले एवं परिधान ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए की वह भारतीय है।

4. जो लोग जगद्गुरुकुलम् में नहीं पढ पाये है, और बड़े हो गए हैं, क्या ऐसे बालक, युवा, वृद्ध या गृहणी के लिए भी कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाएगा?



हाँ, विशेषरूप से अभिभावक एवं जगद्गुरुकुलम् में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता के लिए किया जाएगा, क्योंकि बच्चा जब हमारे यहाँ से छुट्टी ले करके 15 दिन या महीने भर के लिए अपने घर जाता है, तो उस समय यदि घर पर उसके अभिभावक या माता-पिता संस्कारी नहीं होंगे, तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, बच्चा कुछ करेगा, कहेगा, और अभिभावक या माता-पिता कुछ और ही करेंगे एवं कहेंगे।

इस लिए अभिभावकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है, और जगद्गुरुकुलम् का प्रयास होगा की अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित किया जाये ताकि उनको भी भारतीय संस्कृति एवं संस्कार का ज्ञान दिया जा सके ताकि बच्चा जब घर उनके पास जाये तो वो भी उसी सोच एवं समझ के अनुसार व्यवहार करें, जिससे बच्चे को अलग माहौल ना लगे और दिक्कत ना हो।

उदाहरण के तौर पर संस्था द्वारा वर्तमान में एक नया प्रयास किया गया जो की हम लोग इतने वर्षों से विद्यालय चला रहे हैं, परंतु कभी ये विचार नहीं आया था। इस बार जो बच्चे घर गये, उनके लिए घर पर भी गृहकार्य करने हेतु कुछ आवश्यक निर्देश दिया गया। उनसे कहा गया कि जैसी दिनचर्या यहाँ परिसर में रहते हुए करते हैं, ठीक उसी प्रकार घर पर भी रहते हुए सुबह उठना, सूर्य नमस्कार करना, योग साधना करना, स्नान करना, एवं संध्या करना, बच्चों को घर पर भी ठीक उसी प्रकार और समय पर करना है, और प्रतिदिन वाॉट्सऐप के माध्यम से फोटोग्राफ एवं विडिओ बच्चे को यहाँ विद्यालय में भेजना है।

उपरोक्त कार्य करने के पश्चात ही बच्चा घर पर बाक़ी कार्य अपने इच्छा अनुसार कर सकता है, और इसके बाद दिन भर के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उपरोक्त कार्य सुबह एक-डेढ़ घंटे का कार्यक्रम उसे करना ही है।

इसका प्रभाव ऐसा हुआ की बच्चे घर गये और घर पर भी उन्होंने उपरोक्त कार्य अनवरत किया, जैसा की परिसर में करते थे, तो प्रतिदिन हमारे पास हजारों फोटो/वीडियो आने लगे और परिणाम ये हुआ कि अब नये बच्चों की हमारे विद्यालय में भीड़ लग गई है। क्योंकि जब गांव के लोगों ने देखा की छत पर/घर के बाहर बच्चा सूर्य नमस्कार, संध्या वंदन, एवं योगासन कर रहा है, तो आस पास के अन्य अभिभावकों एवं बच्चों को लगा की उन्हें भी करना चाहिए, और सीखने के लिए उन्हें भी जगद्गुरुकुलम् में पढ़ने आना चाहिए। इस एक छोटे से प्रयास से जगद्गुरुकुलम् का माहौल ही बदल गया।

